राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हनुमान बनाम कमला देवी 679/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. को उपस्थित होकर मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 26/12/2025 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
26/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस हेतु एक अवसर चाहा | अत: न्यायहित में अधिवक्ता रेस्पो. को बहस हेतु एक अवसर प्रदान किया जाकर पत्रावली अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 05/01/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
05/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/01/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 8 के पूर्वज ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा का इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमियां खसरा नम्बर 806 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 807 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 813 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 2624 से 2630 व 2635, 2636/3739 कुल किता 10 कुल रकबा 1.69 हैक्टर बने है। ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूं में स्थित है | विवादग्रस्त उपरोक्त आराजी पर वादी का काश्तकारी अधिनियम के प्रारंभ से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण। ता 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलती से लगा हुआ है जिनका कि पिछले 40-50 साल से कही अता पता हो नहीं है, और न ही अभिलेख में अंकित काश्तकारों ने कभी भी विवादित भूमि पर काश्त की है। पहले वादी का पिता काबिज था तथा पिता की मृत्यू के पश्चात वादी काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है तथा सरकार को प्रारंभ से ही लगान चुकाता आ रहा है | वादी का कब्जा काश्त करीब 50 साल से चला आ रहा है तथा अंकित खातेदारों के हितों के खुल्लम खुल्ला विरुद्ध है। विवादग्रस्त आराजी पर वादी काश्त प्राकृर्तिक व खुदरा उत्पादन का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। स्वयं वादी इस प्रकार निरंतर अपने पिता के बाद 30 साल से ऊपर से काश्त करता आ रहा है तथा काबिज है जिस विवादित राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हनुमान बनाम कमला देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आराजी पर वादी ने बोरिंग चला कर भूमि विवादग्रस्त की सिंचाई करता आ रहा है तथा इस भूमि पर ही अपना आवास बनाकर सपरिवार के निवास करता रहा है | प्रतिवादीगण ने कभी भी 30 साल से किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं की तथा न ही उपयोग उपभोग में बाधा डाली और न ही कभी किसी प्रकार का इन भूमियाँ से अपना संबन्ध रखा। इस प्रकार वादी निरंतर 30 साल से भी अधिक समय ते काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है तथा वादी का कब्जा व प्रतिवादी। ता 3 के हितों के स्पष्ट विपरित है जिस कारण वादी का कब्जा मुखालफना स्पष्ट रूप से साबित है जिसकी वजह से वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु मुस्तहक है और प्रतिवादीगण का अब किसी प्रकार का कानूनी हक शेष नहीं रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण के संम्बन्ध में जानकारी हासिल करने का काफी प्रयास किया लेकिन किसी प्रकार का अता-पता नहीं मिला और अब बोरिंग में पानी का स्तर गहराई पर चले जाने के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु वादी ने कार्यवाही की तो विधुत मंण्डल वालों ने खातेदारी अंकित नहीं होने के कारण कनेक्शन देने में असमर्थता प्रकट की जिस कारण वादी के लिये खातेदारी में नाम अंकन करवाना अनिवार्य हो गया, जिसका की वादी कानूनन अधिकारी है | वाद पत्र के अन्त में वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादी को साबिक खसरा नम्बर 806, 807 व 813 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, जिनके हाल खसरा नम्बर 2624 से 2630 व 2635, 2636, 2636/3739 कुल किता 10 रकबा 1.69 हैक्टेयर ग्राम काला डेरा तहसील चौमू का खातेदार काश्तकार घोषित कर तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती क आदेश किये जाने का अनुतोष चाह गया |

अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की एकपक्षीय बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 31/12/1999 पारित करते हुए वादी को कब्जा मुखालफाना (एडवर्स पजेशन) के आधार पर साबिक खसरा नम्बर 806, 807 व 813 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, जिनके हाल खसरा नम्बर 2624 से 2630 व 2635, 2636, 2636/3739 कुल किता 10 रकबा 1.69 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाडेरा तह. चौमू का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**हनुमान बनाम कमला देवी** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि वादी सुगनचन्द द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु प्रश्नाधीन वाद पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये वादी की एकतरफा सुनवाई कर वादी का कब्जा मुखालफाना प्रश्नगत भूमि पर होना धारित कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्रदान किया गया, जो विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रतीत नही होता है | कानूनन केवल मात्र कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाने में त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटीपूर्ण जाहिर होने से न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होती है एवं ऐसे त्रुटीपूर्ण निर्णय को चुनौती दिये जाने में मियाद का बिन्दु बाधा उत्पन्न नही करता है | अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाती है |

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31/12/1999 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे घोषणा के वाद को निस्तारित करने हेतु निर्धारित विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत प्राप्त कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर